राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम,मुंगेर
सदर अस्पताल, मुंगेर

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003 (COTPA-2003) को मुंगेर जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 336(12) पटना दिनांक 02.04.12 के आलोक में जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, मुंगेर की अध्यक्षता में **जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC)** का गठन इस कार्यालय के पत्रांक 52(तंबाकू) दिनांकः–30.07.12 द्वारा किया गया था।दिनांक 02.02.13 को आयोजित जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में इस समिति का विस्तारीकरण कर निम्न पदाधिकारियों को भी जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

1. उपविकास आयुक्त,मुंगेर :– पदेनवरीय प्रभारी जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम,मुंगेर।
2. जिला परिवहन पदाधिकारी,मुंगेर :– पदेन सदस्य।
3. जिला कार्यक्रम प्रबंधक,जिला स्वा0 समिति,मुंगेर :– पदेन सदस्य।

नवगठित समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के निम्नांकित सदस्य होंगें।

01.	जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति मुंगेर	–	पदेन अध्यक्ष।
02.	सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर	–	पदेन सदस्य सचिव।
03.	जिला पुलिस अधीक्षक,मुंगेर	–	पदेन सदस्य।
04.	उपविकास आयुक्त,मुंगेर	–	पदेन वरीय प्रभारी पदा0 जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम,मुंगेर।
05.	जिला नोडल पदाधिकारी,तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम मुंगेर	–	पदेन सदस्य सह समन्वयक।
06.	जिला शिक्षा पदाधिकारी,मुंगेर	–	पदेन सदस्य।
07.	जिला परिवहन पदाधिकारी	–	पदेन सदस्य।
08.	जिला जनसंपर्क पदाधिकारी,मुंगेर	–	पदेन सदस्य।
09.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक,जिला स्वा0 समिति,मुंगेर	–	पदेन सदस्य।
10.	जिला खाद्य सुरक्षा पदा0 मुंगेर।	–	पदेन सदस्य।
11.	सभी औषधि निरीक्षक,मुंगेर जिला,मुंगेर	–	पदेन सदस्य।
12.	प्राचार्य आर0 डी0 एण्ड डी0 जे0 कॉलेज,मुंगेर	–	सदस्य।
13.	प्राचार्य बाल्मीकी राजनीति महिला कॉलेज,मुंगेर	–	सदस्य।
14.	प्रतिनिधि सोशियो इकौनोमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपेंट सोसाईटी (SEEDS), बिहार पटना	–	सदस्य।
15.	डा0 कविता वर्णवाल, डा0 मंजु सिन्हा प्रतिनिधि लायन्स कल्ब, मुंगेर सिटी	–	सदस्य।
16.	श्रीमती हरबीत सिंह, श्री अभय कुमार सिंह प्रतिनिधि रोटरी कल्ब, मुंगेर	–	सदस्य।
17.	प्रतिनिधि पी.एस.आई. बिहार (Population Services International)	–	सदस्य।
18.	श्री दीनबंधु, निदेशक Shiv Shakti Institute of Technical Education Society, Munger	–	सदस्य।

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित हैः–

- COTPA -2003 को पूरे मुंगेर जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने तथा मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से कियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- मुंगेर जिले/प्रखण्डों की अनुश्रवण/रहनुमाई समिति का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहें हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामले में फैसला लिया गया है।
- तंबाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य/जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।

जिंदगी चुनिए तम्बाकू नहीं

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम,मुंगेर
सदर अस्पताल, मुंगेर

- DTCCC की त्रैमासिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना।
- तम्बाकू और संबंद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष/surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रकिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।
-

04/02/13

सिविल सर्जन
मुंगेर

उपविकास आयुक्त
मुंगेर

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 10 (तंबाकू) / मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित

04/02/13

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 10 (तंबाकू) / मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीडस, 303 बसन्ती कुन्ज आपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना एवं सीनियर मैनेजर प्रोग्राम पी0 एस0 आई0 साई कृपायतन आशियाना दीघा रोड रामनगर मोड़ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

04/02/13

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 10 (तंबाकू) / मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना,आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर /पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर,कार्यपालक निदेशक–सह–स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

04/02/13

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम,मुंगेर
सदर अस्पताल, मुंगेर

आदेश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत **उप विकास आयुक्त, मुंगेर को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का वरीय प्रभारी नामित किया जाता है।** जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिले में सफल संचालन कराना सुनिश्चित करेगें। जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण सेल) सभी संचिकाये उप विकास आयुक्त के माध्यम् से उपस्थापित करेगें। साथ ही मुंगेर जिले को धुम्रपान मुक्त जिला धोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें। यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक ....08 (तंबाकू)..........मुंगेर,दिनांक ....4/2/13........../

प्रतिलिपि : उप–विकास आयुक्त मुंगेर/निदेशक,एन0ई0पी0,मुंगेर/निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, मुंगेर/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर/अधीक्षक, जिला अस्पताल,मुंगेर/जिला कार्यक्रम प्रबंधक,जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,मुंगेर/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,मुंगेर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,मुंगेर/सभी सी0डी0पी0ओ0,मुंगेर/श्रम अधीक्षक,मुंगेर/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), मुंगेर, जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकु नियंत्रण, मुंगेर, असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों/पुलिस निरीक्षकों/पुलिस उपाधीक्षकों को आवश्यक कार्यार्थ निदेष देने की कृपा की जाय अनुरोध है कि अपने क्षेत्राअंतर्गत कार्यालयों/सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू एवं धुम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित कराना एवं इस हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करें।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 08 (तंबाकू) / **मुंगेरदिनांक** 4/2/13

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीडस, 303 बसन्ती कुन्ज आपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना एवं सीनियर मैनेजर प्रोग्राम पी0 एस0 आई0 साई कृपायतन आशियाना दीघा रोड रामनगर मोड़ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 08 (तंबाकू) / **मुंगेरदिनांक** 4/2/13

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना,आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर /पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर,कार्यपालक निदेषक–सह–स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

जिंदगी चुनिए तम्बाकू नहीं

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम,मुंगेर
सदर अस्पताल, मुंगेर

जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर
(जिला तम्बाकु नियंत्रण सेल)

आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते है।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा–बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षिणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धुम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, अल्लंधनकर्त्ता को रूपये 200/–तक जुर्माना किया जाएगा। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :–

60cmx30cm

धूम्रपान रहित क्षेत्र,
यहाँ धूम्रपान करना
एक अपराध है।
उल्लंघन करने पर 200/– रूपये तक जुर्माना किया जाएगा।

अगर आप को कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करते दिखाई देता है तो कृपया निम्न अधिकारी को शिकायत करें।
1. श्री/श्रीमती..
2. पदनाम..
3. फोन/मोबाईल न. ....

60cmx15cm

अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंधन करने वाले को 200 रू0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिंचित करेंगे। साथ में

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम,मुंगेर
सदर अस्पताल, मुंगेर

प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

सिविल सर्जन
मुंगेर

उपविकास आयुक्त
मुंगेर

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक // (तंबाकू) मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, मुंगेर/ सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वाथ्य केन्द्र, जिला मुंगेर/ स्वास्थ अधीक्षक, जिला अस्पताल, मुंगेर/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मुंगेर /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर/ सभी सी0डी0पी0ओ0, मुंगेर/ श्रम अधीक्षक, मुंगेर / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), मुंगेर/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकु नियंत्रण, मुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर एवं पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक // (तंबाकू) / मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीडस, 303 बसन्ती कुन्ज आपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना एवं सीनियर मैनेजर प्रोग्राम पी0 एस0 आई0 साई कृपायतन आशियाना दीघा रोड रामनगर मोड़ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक // (तंबाकू) / मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना,आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर /पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर,कार्यपालक निदेषक–सह–स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम,मुंगेर
सदर अस्पताल, मुंगेर

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6 A के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अर्न्तगत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :–

अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा– बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेगें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रवधान है।

सिविल सर्जन
मुंगेर

उपविकास आयुक्त
मुंगेर

3/04/02/13
जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/निदेशक, एन0इ0पी0, मुंगेर/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, मुंगेर/ सिविल सर्जन,मुंगेर/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/सभी सी0डी0पी0ओ0, मुंगेर/ श्रम अधीक्षक, मुंगेर/ पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), मुंगेर एवं पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

3/04/02/13
जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 13 (तंबाकू) / मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीडस, 303 बसन्ती कुन्ज आपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना एवं सीनियर मैनेजर प्रोग्राम पी0 एस0 आई0 साई कृपायतन आशियाना दीघा रोड रामनगर मोड़ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

3/04/02/13
जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 13 (तंबाकू) / मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना,आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर /पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर,कार्यपालक निदेशक–सह–स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3/04/02/13
जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

जिंदगी चुनिए तम्बाकू नहीं

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम,मुंगेर
सदर अस्पताल, मुंगेर

जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर
(जिला तम्बाकु नियंत्रण सेल)

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6) के अनुसार सभी षिक्षण संस्थानों को तम्बाकु मुक्त बनाने के लिए षिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकु के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाने एवं दिवार लेखन का निदेष दिया जाता है। जिस का प्रारूप निम्न प्रकार से है :–

60cmx 60 cm (*15cm+30cm+15cm*)

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेषित किया जाता है कि अपने–अपने षिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं 100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार का तम्बाकु उत्पाद की बिकी पर पुर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिष्चित करें। आदेष का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम,मुंगेर
सदर अस्पताल, मुंगेर

अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दुष्परिणामों के बारें में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकु नियंत्रण पर प्रभात–फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें।

सिविल सर्जन
मुंगेर

उपविकास आयुक्त
मुंगेर

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 12 (तंबाकू)/ मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर /सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मुंगेर /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर,जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकु नियंत्रण,कार्यक्रम मुंगेर,असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर एवं पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 12 (तंबाकू)/ मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीडस, 303 बसन्ती कुन्ज आपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना एवं सीनियर मैनेजर प्रोग्राम पी० एस० आई० साई कृपायतन आशियाना दीघा रोड रामनगर मोड़ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 12 (तंबाकू)/ मुंगेर दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना,आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर /पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर,कार्यपालक निदेशक–सह–स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम,मुंगेर
सदर अस्पताल, मुंगेर

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना** (रूपये 200/— तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :—

1. अनुमंडल पदाधिकारी — अध्यक्ष
2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी — सदस्य
3. कार्यपालक दण्डाधिकारी — सदस्य
4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी — सदस्य
5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय — सदस्य
6. अनुमंडल शिक्षा पदा0/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अनुमंडल मुख्यालय — सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष — सदस्य

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। इस काम में अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें लें सकेंगे।

सिविल सर्जन
मुंगेर

उपविकास आयुक्त
मुंगेर

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 14 (तंबाकू) / मुंगेर,दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित साथ ही निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक–एक प्रति सभी संबंधित को तामिला कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाए एवं निर्देशित किया जाता है कि आप सभी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यालयों/सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू एवं धुम्रपान मुक्त क्षेत्र धोषित करने एवं इस हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करेंगे एवं पुलिस अधीक्षक,मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से पुलिस उपाधीक्षकों को तदनुसार आवश्यक कार्यार्थ निर्देश देने की कृपा की जाए।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 14 (तंबाकू) / मुंगेर,दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीडस, 303 बसन्ती कुन्ज आपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना एवं सीनियर मैनेजर प्रोग्राम पी0 एस0 आई0 साई कृपायतन आशियाना दीघा रोड रामनगर मोड़ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 14 (तंबाकू) / मुंगेर,दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना,आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर /पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर,कार्यपालक निदेशक–सह–स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम,मुंगेर
सदर अस्पताल, मुंगेर

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA**.2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना** (रूपये 200/– तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :–

1.	प्रखंड विकास पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	–	समन्वयक सदस्य
3.	प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	–	सदस्य
4.	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
5.	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	–	सदस्य
6.	प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	–	सदस्य
7.	संबंधित थानाध्यक्ष	–	सदस्य

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ली जा सकेंगी।

3/2/13 04/02/13

सिविल सर्जन
मुंगेर

उपविकास आयुक्त
मुंगेर

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 15 (तंबाकू) / मुंगेर,दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक–एक प्रति सभी संबंधित पदा0 को तामिला कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाए साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आप सभी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यालयों/सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू एवं धुम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने एवं इस हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करेंगे एवं पुलिस अधीक्षक,मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों /पुलिस निरीक्षकों /पुलिस उपाधीक्षकों को तदनुसार आवश्यक कार्यार्थ निदेश देने की कृपा की जाए।

3/2/13 04/02/13

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 15 (तंबाकू) / मुंगेर,दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीडस, 303 बसन्ती कुन्ज आपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना एवं सीनियर मैनेजर प्रोग्राम पी0 एस0 आई0 साई कृपायतन आशियाना दीघा रोड रामनगर मोड़ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/2/13 04/02/13

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

ज्ञापांक 15 (तंबाकू) / मुंगेर,दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना/ राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना,आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर /पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर,कार्यपालक निदेशक–सह–स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3/2/13 04/02/13

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर।

जिंदगी चुनिए तम्बाकू नहीं